P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आजमगढ़ जनपद (उ0प्र0) में अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं आवासीय समस्याएँः एक भौगोलिक अध्ययन

जगदेव
असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
एस0जी0एन0 राजकीय
पी0जी0 कॉलेज,
मुहम्मदाबाद, मोहना, मऊ,
भारत

पुष्कर
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
एस0जी0एन0 राजकीय
पी0जी0 कॉलेज,
मुहम्मदाबादह, मोहना, मऊ,
भारत

सारांश

आजमगढ़ जनपद पहले जौनपुर जनपद का अंग था। ईस्ट इण्डियॉ के चतुर शासको ने सन् 1832 ई0 में आजमगढ़ को एक जिला घोषित कर उसी समय कलेक्ट्री कचहरी का निर्माण कराया। आजमगढ़ को जिला के रूप में विधिक मान्यता 18 दिसम्बर 1932 को प्राप्त हुई। घाघरा और तमसा (टौंस) जनपद की मुख्य नदियाँ है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग में अनेक छोटी–छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है। जिनका प्रवाह जनपद के सामान्य ढाल के अनुरूप उत्तर–पश्चिम से दक्षिण को है। सम्पूर्ण आजमगढ़ जनपद जलोढ़ मिट्टी युक्त हैं क्योंकि यह नदियों द्वारा निर्मित एक समतल मैदान है। सम्पूर्ण जनपद मानवकृत तालाबों, नालों तथा झीलों से भरा हुआ है जो मुख्य रूप से पकड़ी मेवा, नरजा, सलोना आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है। आजमगढ़ जनपद की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी है। उत्तर से तराई मैदान की उमस भरी आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में शुष्कार्द्र पठारी जलवायु पायी जाती है। जनपद में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु पायी जाती है।

मुख्य शब्द : आजमगढ़ जनपद, अनुसूचित जाति जनसंख्या, आवासीय समस्या, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति, पिछड़ेपन, व्यावसायिक निम्नता, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु, गंगा–घाघरा दोआब, लिंगानुपात, घास–फूस से निर्मित झोपड़ी, वृक्षों के पत्तो से बनी कुटिया, थपुआ, स्थायी एवं अस्थायी अधिवास, निर्योग्यता, कल्याण एवं उत्थान, आवागमन, अस्पृश्यों इत्यादि।

प्रस्तावना

आजमगढ़ गंगा घाघरा दोआब के पूर्वी तथा गंगा नदी के दक्षिणी भाग में 25^{o} 28' से 26^{o} 26' उत्तरी अक्षांश तथा 82^{o} 20' से 83^{o} 30' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्व एवं उत्तर–पूर्व में मऊ, दक्षिण–पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण–पश्चिम में जौनपुर , पश्चिम में सुल्तानपुर, उत्तर–पश्चिम में अम्बेडकर नगर तथा उत्तर में गोरखपुर जनपद स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4054 वर्ग किमी0 है। जिसमें 08 तहसीलें– सदर, सगड़ी, फूलपुर, लालगंज, बुढ़नपुर, मार्टिनगंज, मेंहनगर व निजामाबाद है तथा 11 नगर पंचायत, 02 नगर पालिका, 22 विकासखण्ड, 278 न्याय पंचायत व 4101 गाँव स्थित है। आजमगढ़ जनपद की कुल जनसंख्या 4613913 है, जिसमें पुरूष 2285004 व महिला 2328909 है। जनसंख्या का जनघनत्व 1138 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0, लिगांनुपात 1019 व बालक (0–6) लिगांनुपात 909 है। साक्षरता 70.93 प्रतिशत जिसमें पुरूष साक्षरता 81.34 प्रतिशत व महिला साक्षरता 60.91 प्रतिशत है। आजमगढ़ जनपद में 8.5 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों व 91.5 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता 77.3 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण साक्षरता 70.3 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्रों में बालक लिंगानुपात 945 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1026 है। आजमगढ़ जनपद में बालकों की (0–6) कुल जनसंख्या 706085 है जो कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। जिसमें 367885 बालक व 338200 बालिका जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार बालक लिंगानुपात 919 है जो पुरूष लिंगानुपात (1019) से 100 कम है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अध्ययन का उद्देश्य

1. अध्ययन क्षेत्र में स्थित अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर अध्ययन करना
2. अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित अनुसूचित जाति के आवास का सामाजिक परिपेक्ष में अध्ययन करना।

आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अनुसूचित जाति के वितरण के अध्ययन हेतु भारत की जनगणना एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना में आजमगढ़ जनपद की जनगणना 2011 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु जनपद के 08 तहसीलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को आधार मानकर, कुल जनसंख्या में अनुपात का अध्ययन किया गया है। जनगणना 2011 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं सारणीपन किया गया है।

हिन्दू समाज व्यवस्था अनेक जातियों का सम्मिश्रण है। इसमे सांस्कृतिक विविधता जातीय बहुलता जीवन शैली की भिन्नता पवित्रता और अपवित्रता का विचार ऊँच–नीच का भेद –भाव और अस्पृश्यता के विचार सन्निहित है। जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर आने वाली जाति को अस्पृश्य और वर्हिजाति की संज्ञा दी गयी थी। अस्पृश्य जातियों के साथ जो सामाजिक प्रतिमान संलग्न थे। वे इन जातियों की निर्योग्यता के निर्धारण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते है। परिणामस्वरूप अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियाँ अन्य हिन्दू जातियों से अलग–अलग है जो गाँव में इनकी विलगता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिन्दू शास्त्रों के अन्तर्गत शुद्र वर्ण के साथ सामाजिक दूरी और अपवित्रता की अवधारणाएं संयुक्त की गयी है। व्यावसायिक पिछड़ापन के कारण अस्पृश्य या अपवित्र कार्यो को शूद्रों के लिए सुनिश्चित किया गया था तात्पर्य यह कि जो भी निम्नस्तरीय अशुद्ध कार्यो में लगे हुए थे उन्हे अछूत या अस्पृश्य कहा गया उनको अन्य वर्गो से दूर रखा गया अस्पृश्य लोगो को अधारभूत नागरिक अधिकारों से वचित किया गया था जो आज भी उनके लिए प्रमुख निर्योज्ञता कारक है। समाज में सर्वाधिक दबे कुचले व्यक्तियों की चर्चा सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने की थी। महात्मा गाँधी समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लिए संविधान में 'हरिजन' शब्द रखना चाहते थे (धूरिये 1961) परन्तु गाँधी जी के समर्थकों ने भी 'अनुसूचित जाति' शब्द का पक्ष लिया। पहले 'डिप्रेस्ड क्लासेज' के रूप में जानी जाने वाली अनुसूचित जातियों की सरकारी सेवाओं में भर्ती और जनप्रतिनिधित्व के लिए भारतीय संविधान एवं विधायी संस्थाओं में आरक्षण आदि के रूप में विशेष उपाय किये गये। भारत सरकार 1935 के अधिनियम धारा 309 और 1936 के आदेश में जाति की परिभाषा की गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों के समस्याओं के समाधान हेतु अनेक संवैधानिक कदम उठायें है। सांवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ संविधान के अनेक अनुच्छेदो के माध्यम से भी इनके कल्याण हेतु उपाय किये गये है। संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि ''अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा एवं अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के रूप में राज्य जनता के दुर्बल वर्गो के विशिष्टतया अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषणों से उनकी संरक्षा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान के आरक्षण

की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा उचित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या को कई नामों से जाना जाता है जिसमें चमार, जाटव, पासी, धोबी, खटिक, धुसिया, दबगर, धनगर, डोम, दुसाध, गोंड, बाल्मीकि, बांसफोर, बंवरिया, हेला, कोल, कोरी, मझवार, नट आदि नामों से पुकारा व जाना जाता है।

आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 25.6 है तथा कुल जनसंख्या 1171378 है जिसमें पुरूष 579585, महिला 591792 की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवास करती है जिसमें 1123453 ग्रामीण व 47925 नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण पुरूष 554540, ग्रामीण महिला 568913 व नगरीय पुरूष 25046, नगरीय महिला 22879 निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता 65.56 प्रतिशत जिसमें, पुरूष 74.78 प्रतिशत, महिला 55.48 प्रतिशत है। लिगांनुपात भी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में अलग–अलग पाया जाता है। ग्रामीण लिगांनुपात 1026 व नगरीय लिगांनुपात 913 है।

आजमगढ़ जनपद के ठेकमा ब्लाक में अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठेकमा ब्लाक में अनुसूचित जाति की 80476 जनसंख्या है, जिसमें पुरूष 38999 व महिला 41477 है उसके बाद बिलरियागंज ब्लाक में 71578 अनुसूचित जाति जनसंख्या है जिसमें पुरूष 35881 व महिला 35697 है। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या 29991 अतरौलिया ब्लाक में स्थित है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 14700 व महिला जनसंख्या 15211 है। उसके बाद पल्हना ब्लाक जिसमें अनु0 जाति जनसंख्या 32881 है, जिसमें पुरूष 15997 व महिला 16884 जनसंख्या निवास करती है।

क्रम सं0	विकासखण्ड	क्षेत्रफल वर्ग किमी0	अनुसूचित जाति की जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या प्रतिशत
			कुल	पुरूष	महिला	
1	अतरौलिया	135.02	29911	14700	15211	23.24
2	कोयलसा	165.39	40387	19719	20668	22.08
3	अहिरौला	196.02	46662	23396	23266	22.80
4	महराजगंज	240.06	43462	21509	21953	23.30
5	हरैया	263.91	49647	24618	25029	24.89
6	बिलरियागंज	199.27	71578	35881	35697	28.31
7	अजमतगढ़	205.35	53919	26799	27020	25.12
8	तहबरपुर	176.26	43879	21398	22481	24.28
9	मिर्जापुर	165.56	51007	25170	25837	24.52
10	मुहम्मदपुर	191.92	52140	25384	26756	27.31
11	रानी की सराय	139.01	51934	25731	26203	28.37
12	पल्हनी	127.28	42232	21655	20577	21.07
13	सठियाँव	164.16	55967	28617	27350	27.18
14	जहानागंज	180.89	53206	26536	26370	32.26
15	पवई	206.99	51165	25351	25814	24.25
16	फूलपुर	191.20	48607	23744	24863	23.42
17	मार्टिनगंज	132.35	41454	19864	21590	21.47
18	ठेकमा	227.68	80476	38999	41477	40.20
19	लालगंज	212.99	65362	31493	33869	23.40
20	मेंहनगर	187.19	61696	30384	31312	33.36
21	तरवॉ	219.80	55966	27531	28435	29.25
22	पल्हना	142.89	32881	15997	16884	29.60
योग ग्रामीण		3994.44	1123538	554573	568962	
योग नगरीय		59.56	47925	25046	22879	
योग जनपद		4054.00	1171463	579622	591841	25.6

मानव अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता में है लेकिन भोजन की अपेक्षा मकान अधिक उपयोग की वस्तु है क्योंकि इसी पर मानव की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियायें सम्पन्न होती है। अतः परिवार अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान एक अनिवार्य आवश्यकता है। अधिवास से आशय मानव के निवास स्थान से है, जो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अधिवास के अन्तर्गत सभी प्रकार के आश्रय स्थलों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह घास–फूस से निर्मित झोपड़ी हो या वृक्षों के पत्तो से बनी हुई कुटिया चाहे कंकरीट से बनी हुई गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है और वहाँ जिन मकानों, घरों, झोपड़ियों पूजा

स्थलों आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है।

प्रो0 आर0एल0 सिंह के अनुसार –'' अधिवास सांस्कृतिक भू–दृश्य है जो भूमि ग्रहण की प्रक्रिया में मानव द्वारा निर्मित किये जाते है।

अध्ययन क्षेत्र आजमगढ़ जनपद के अनुसूचित जातियों में दो प्रकार के अधिवास पाये जाते है– अस्थायी अधिवास, स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास ऐसे अधिवास है जिनके निवासित व्यक्ति कुछ समयोपरान्त अपने अधिवासों को परिवर्तित कर देते है, तथा स्थायी अधिवास को दो उपभागों ग्रामीण व नगरीय में बांटा गया है। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अधिवास मुख्यतः निर्माण सामग्री के आधार पर निम्न प्रकार के (पक्की दीवार एवं पक्का छत, पक्की दीवार एवं नरिया खपरैल छत, पक्की दीवार एवं एस्बेस्टस, मिट्टी के दीवार एवं नरिया–थपुआ छत, मिट्टी के दीवार एवं थपुआ छत तथा मिट्टी की दीवार एवं झोपड़ी तथा केवल झोपड़ी) अधिवास पाये जाते है। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में पक्की दीवार एवं पक्का छत का होना उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है।

अनुसूचित जातियों में आर्थिक धनाभाव के कारण मिट्टी के दीवारों, नरिया व थपूआ से निर्मित घर बनायें जाते है, इस तरह के दीवार वर्षा से पूर्व लगभग 3 फिट मोटे मिट्टी एवं कंकड़ के टुकड़ों को मिलाकर बनायी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी दीवारों की मोटाई भीतरी दीवारों से अधिक होती है। दीवारों की ऊँचाई 12 फिट से 20 फिट के बीच सम्पन्नता एवं आवश्यकता के आधार पर होती है, जिसकी छतें मिट्टी के बनें हुए थपुआ एवं नरिया से बनी होती है। आर्थिक स्थिति से सम्पन्न लोग अपना मकान उच्च वर्गीय मकानों के सामग्रियों ईट, सीमेंट, बालू, गिट्टी,गार्डर, पटिया इत्यादि से बना रहे है। इन सामग्रियों से निर्मित मकान कच्चें मकानों की तुलना में काफी मजबूत, दीर्घकालिक एवं टिकाऊ होते है।जिसमें सर्वाधिक 55 प्रतिशत व्यक्ति के मकान मिट्टी की दीवार एवं नरिया थपुआ छत तथा 18 प्रतिशत मकान झोपड़ी के रूप में पाये जाते है। यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ी समस्या आवास की है। अनुसूचित जाति के 8 व्यक्ति प्रति आवास निवास कहते है।

निष्कर्ष

किसी भी समाज में यदि किसी व्यक्ति को समाज के एक संगठित सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तो उसे समाज में रहने वाले अन्य लोगों की भाँति नागरिक अधिकारों के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भारत में रहने वाली दलित जातियां समाज में तो है लेकिन समाज के नहीं है। वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की शोषित सामाजिक, आर्थिक स्थिति का इतिहास समान प्राचीन एवं साथ–साथ प्रारम्भ होने वाली सामाजिक घटनाएं है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष और अतिरिक्त साधन एवं सुविधाओं की व्यवस्था संविधान में की गयी है। इन सबके अतिरिक्त समय–समय पर अनेक संशोधन एवं एक्ट भी पारित होते रहे है लेकिन इस पर भी जातिवाद और इसकी सबसे विदूप अभिव्यक्ति अस्पृश्यता आज भी करोड़ों जनों के दैनिक जीवन में पूर्ण रूपेण समाहित है, ऐसी आस्था वर्तमान अनुसूचित जातियों के सरकारी आयुक्तों ने प्रस्तुत की है। दलित जातियों के पिछड़ेपन का मूल कारण उनके ऐतिहासिक सामाजिक और राजनैतिक आधारों में निहित है, निर्धनता, बेरोजगारी, अलाभकारी व्यवसाय और अशिक्षा आदि कुछ ऐसी स्थितियां है। जिन्होने इन जातियों को दलित बने रहने के लिए बाध्य किया है। अनुसूचित जाति जनसंख्या में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ–साथ आवास की समस्या भी है। ये जनसंख्या अस्वास्थ्यकर व निम्नस्तर के मकानों में रहते है। अधिकतर लोग घास–फूस वाले मकानों, कच्चे मकानों (मिट्टी के बने टीन वाले मकानो) में निवास करते है। इन्ही मकानों में असहाय होकर रहते है। जिससे सभी ऋतुओं में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसेः– शीत ऋतु में अधिक ठण्ड व ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी इनके मकानों में चला जाता है। यह वर्ग आवासीय समस्या से ग्रसित है। सामाजिक निर्योग्यता और अशिक्षा के कारण इनकी आय अत्यन्त कम है एवं कम आय वाले व्यवसायों में संलग्न होने के कारण इन जातियों के लोग पिछड़े हुए है। इन लोगों के विकास के लिए आवश्यक प्राथमिक संसाधन एवं परिवेश सुलभ नहीं है, समाज में ऐसा महसूस करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वे कष्ट सहने के लिए पैदा हुए है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए की गयी संस्तुतियों में कहा गया है कि ऐसे प्रयास किये जाये जिनसे घृणित और अपवित्र कार्य समाप्त हो जाये। शिक्षा, संचार तथा आवागमन के साधनों के द्वारा अस्पृश्यों तथा स्पृश्यों को निकट सम्पर्क में लाने के लिए प्रयास किये जाये। अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उत्थान हेतु इस दिशा में और कार्य किया जाना शेष है। इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनका सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जाना अति आवश्यक है।

References

Bailey. F.g. 1961 "Tribe and Cast in India" Contribution to Indian Sociology.
Census of India 2011
Census of up (India) 2011
Chandna, R.C. (1987) "Population Geography"
Chisom, M.D.I. "Rural Settlement And Land Use, 1966
District Stetistics Journal, Azamgarh 2017-18
District Census Handbook Azamgarh
Government of India
Singh, R.L. Reding In Rural Settlement Geography. N.G.S.I. Varanasi, Dec, 1975
Singh, R.L. "Evolution Of Settlement In Middle Ganga Valley N.G.S.I.Z 1955
Sinha Surjit and Sharma B.D. 1977 Primite Trive: The First Step New Delhi:
Triwartha, G.T. (1953) "A Case For Population Geography"